भारत सरकार
रेल मंत्रालय
रेलवे बोर्ड

परिपत्र

विषय: कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए निवारक उपाय।

कोरोना वायरस (कोविड-19) को फैलने से रोकने के लिए निवारक उपायों के बारे में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपने दिनांक 22.3.2020 के कार्यालय ज्ञापन सं.11013/9/2014-स्था.(ए-III) के तहत अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्देश दिए हैं कि :

"विभागाध्यक्षों द्वारा कर्मचारियों (सभी अधिकारी/कर्मचारी जिनमें परामर्शदाता/ठेके/आउटसोर्स वाले कर्मचारी शामिल हैं) का रोस्टर तैयार किया जाए जो प्रत्येक विभाग में अनिवार्य सेवाओं को करने के लिए अपेक्षित हैं। केवल उन्हें ही 23 मार्च से 31 मार्च 2020 तक कार्यालय में आने के लिए कहा जाए। अन्य शब्दों में, कार्यालय में केवल न्यूनतम कर्मचारियों के साथ ही कार्य किया जाना चाहिए। ऐसे पदाधिकारी जो घर से कार्य कर रहे हैं, वे टेलीफोन और संचार के इलैक्ट्रॉनिक साधनों पर हर समय उपलब्ध रहें। किसी अत्यावश्यक कार्य की स्थिति में, यदि उन्हें बुलाया जाएगा, तो उन्हें कार्यालय आना होगा।"

2. तदनुसार, बोर्ड के दिनांक 19/2/2020 के परिपत्र के अधिक्रमण में, कार्यालय ज्ञापन सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए इसके साथ अग्रेषित है।

3. शाखाओं/निदेशालयों के सभी संबंधित विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि उपर्युक्त अनुदेशों का अक्षरश: कार्यान्वयन करें। इन अनुदेशों के अनुपालन में निदेशालय द्वारा की गई व्यवस्थाओं के बारे में संबंधित बोर्ड सदस्यों को सूचित किया जाए।

संलग्नक: यथोक्त

सं.2020/सा.(आवास)3/मेन्ट/विविध/कोविड-19(वित्त)
नई दिल्ली, दिनांक: 23.3.2020

(मनोज कुमार)
निदेशक (सामान्य प्रशासन)
रेलवे बोर्ड

प्रतिलिपि:
1. निजी सचिव/रेल मंत्री
2. निजी सचिव/रेल राज्य मंत्री
3. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड, वित्त आयुक्त, सदस्य कार्मिक, सदस्य इंजीनियरी, सदस्य रेल भंडार, सदस्य (सामग्री प्रबंधन), सदस्य (सिगनल एवं दूरसंचार) एवं सचिव, रेलवे बोर्ड के प्रमुख स्टाफ अधिकारी/वरिष्ठ निजी प्रमुख सचिव/निजी सचिव
4. कार्यपालक निदेशक एवं उनसे ऊपर के स्तर के सभी अधिकारी
5. अपर सदस्य कार्मिक को रेलवे को उसी प्रकार के सुझाव देने के लिए
6. अपर सदस्य/पी को उत्पादन इकाइयों को उसी प्रकार के सुझाव देने के लिए